न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

ठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
नवान :– विविध प्रकारण संख्या 132 / 2021

1. लाजपत
2. इन्द्रपाल

} पिसरान राजाराम जातियान बिश्नोई निवासी– 3 एलएनपी तहसील व जिलाश्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. अशोक कुमार
2. प्रदीप कुमार

} पिसरान रामेश्वर लाल जातियान बिश्नोई निवासीयान 3 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

3. सरस्वती पत्नी रामेश्वर लाल जाति बिश्नोई निवासी– 3 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. इन्द्राज
5. बलदेव

} पिसरान हजारी जातियान बिश्नोई निवासीयान 3 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

6. कृष्णा देवी पत्नी सुरेन्द्र जाति बिश्नोई निवासी– 3 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. अनिल
8. अनिरूद्ध

} पिसरान सुरेन्द्र जातियान बिश्नोई निवासीयान 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

9. सोमदत्त पुत्र हजारी जाति बिश्नोई निवासी – 3 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
10. सोमा पत्नी जयपाल जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
11. सुनीता पुत्री जयपाल जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
12. राजा राम पुत्र राम लाल जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
13. सुशील पुत्र राजा राम जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
14. सोनू पुत्री बनवारी लाल जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मोहन लाल माहर – – प्रार्थीगण
2. श्री प्रदीप सिहाग – – अप्रार्थी 1 ता 9
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी 15

अप्रार्थी संख्या 10 ता 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 27.12.2024

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण का मुख्य पेशा कृषि है तथा कृषि से ही अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सभी एक ही वंशज रामलाल के उत्तराधिकारी हैं। रामलाल की मृत्युपरांत राजा राम, हजारी राम तथा रामेश्वर लाल पिसरान रामलाल के हक में विरास्तन नामान्तरण तस्दीक किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण के वाके चक 1 जैड के खाता संख्या 127/34 के मुश्तर्का खाता के मुरबा नम्बर 11 व 13 में 277/6641 तथा 277/6641 प्रत्येक प्रार्थीगण को प्राप्त हुआ एवं चक 1 जैड के खाता संख्या 86/57 के मुरब्बा नम्बर 11 व 12 की 2.241 हैक्टेयर प्रार्थीगण के पिता राजाराम पुत्र रामलाल को प्राप्त हुई जिसके विभाजन एवं घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत् कृषि भूमि वाके चक 1 जैड की खाता संख्या 127/34 की 6.641 हैक्टेयर, खाता संख्या 15 / 60 की 2.241 हैक्टेयर, खाता संख्या 126/84 की 2.215 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 86/57 की 2.21 4 हैक्टेयर कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 11–12–13 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की मुशर्तका खाता की कृषि भूमि वाके चक 1 जैड के मुरब्बा नम्बर 11–12–13 के लिये इसी चक में मुरब्बा नम्बर 12 के प्रत्येक के किला नम्बर 21 ता 25 में सरकारी रास्ता स्वीकृत शुदा है तथा मौके पर सभी काश्तकार रास्ता का उपयोग एव उपभोग कर रहे हैं। चूंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पारिवारिक बंटवारानामा के अनुसार मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 21 के उत्तर की तरफ मुरब्बा नम्बर 12–13 की पत्थर लाईन पर 2–2 बिस्वा रास्ता क्रमशः किला नम्बर 6 व 10 तक छोड़ा गया था। जिसका उपयोग एवं उपभोग प्रार्थीगण निर्वाध रूप से पिछले 30–40 वर्ष से कर रहे हैं और आज भी मौके पर प्रस्तावित रास्ता चल रहा है। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता पर मौके पर निर्वाध रूप से चल रहा है जिसकी प्रार्थीगण को अत्यान्तिक आवश्यकता है। इसके अलावा प्रार्थीगण को अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहमति से पारिवारिक समझौता के अनुसार मुरब्बा नम्बर 12–13 की पत्थर लाईन पर 2–2 बिस्वा छोड़ा गया था जो मौके पर यथावत रूप से चल रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में स्वीकृत नही होने से अप्रार्थीगण ने अब धमकी दी है कि उक्त प्रचलित रास्ता की कृषि भूमि को अन्य किसी अजनबी क्रेता को अन्तरण कर देंगें । इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को दिनांक 14–6–21 को निवेदन किया कि समझौतानुसार सहमति से रास्ता स्वीकृत करवा लेवें । किन्तु वे कतई इनकार हो गये। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता का उपयोग एवं उपभोग प्रार्थीगण के अलावा इसी मुर्शतका खाता के अन्य सह काश्तकार अप्रार्थीगण भी कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के सुनवाई योग्य, क्षेत्राधिकार एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके चक 1 जैड के मुरब्बा नम्बर 12 व 13 मध्य पत्थर लाईन पर 2–2 बिस्वा प्रचलित रास्ता मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 6–15–16–25 तथा मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 10–11–20–21 में प्रत्येक में 1–1 बिस्वा को स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 251–ए पेश किया गया। जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में राजस्व रिकार्ड के संबंध में अंकित तथ्य मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है। विवादित भूमि के संबंध में विभाजन एवं घोषणा का वाद विचाराधीन होना अस्वीकार है। चक 1 जैड के मुरब्बा नम्बर 12 के प्रत्येक के किला नम्बर 21 ता 25 में सरकारी रास्ता संचालित है। यह तथ्य स्वीकार नहीं है कि प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

एवं अप्रार्थीगण के मध्य मुरब्बा नम्बर 12 एवं 13 की पत्थर लाईन पर दो–दो बिस्वा रास्ता किला नम्बर 6 व 10 तक के आवागमन के लिए छोड़े जाने के संबंध में कोई पारिवारिक बंटवारानामा हुआ हो एवं उक्त रास्ता का ही उपयोग एवं उपभोग प्रार्थीगण पिछले 30–40 वर्षो से करते आ रहे हों। प्रार्थना पत्र में पारिवारिक बंटवारानामा से सम्बन्धित कथन मिथ्या अंकित किये गये हैं जो मात्र प्रार्थना पत्र रचित करने हेतु अंकित किये गये हैं । यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि में आवागमन हेतु प्रार्थना पत्र में अंकित प्रस्तावित प्रचलित रास्ते की आवश्यकता नहीं है और ना ही वर्तमान में उक्त प्रस्तावित रास्ता संचालित है। सही तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में आवागमन हेतु मुरब्बा नम्बर 12, 13 की उत्तर दिशा में स्थित चक 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 37, 38 में प्रत्येक मुरब्बा के किला नम्बर 21 ता 25 में खड़वंजा सड़क चक सीमा के साथ– साथ सार्वजनिक सड़क के रूप में संचालित है जो कि प्रार्थीगण् की कृषि भूमि से चिपती हुई है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन कर कृषि कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि को वैकल्पिक रास्ते के रूप में रास्ता पूर्व में प्राप्त है जिस कारण प्रार्थीगण को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र सुविधा की दृष्टि से दो भिन्न भिन्न रास्ते अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों एवं नियमों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में अंकित तथ्य मिथ्या एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता स्वीकृति हेतु धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त. अधि. में वैकल्पिक रास्ते के अभाव एवं रास्ते की आतयन्तिक आवश्यकता के बिन्दु पर विचार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त खाता की भूमि में से रास्ता का अनुतोष चाहा गया है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थीगण को चक 1 वाई के मुरबा नम्बर 37 व 38 के किला नम्बर 21 ता 25 में मौका पर खड़वंजा सड़क निर्मित है जो कि प्रार्थीगण की भूमि से चिपती हुई है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु वैकेल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थीगण को रास्ता स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए आर. टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 27.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner